भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2116

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत खरीद समझौता

2116. श्री दिलीप साईकियाः

श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित त्रुटिपूर्ण विद्युत खरीद समझौता देश में खराब विद्युत वितरण का एक मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्थिति के संबंध में सरकार की उज्ज्वल विद्युत वितरण आश्वासन योजना (उदय) किस स्तर तक लाभकारी सिद्ध हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत क्रय करार (पीपीए) विक्रेता अर्थात उत्पादन कंपनी और प्रापक अर्थात वितरण कंपनी के बीच एक संविदा है। विद्युत खरीद के लिए टैरिफ, अधिनियम की धारा 63 के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए अथवा विद्युत अधिनियम 62 के अनुसार विनियामक द्वारा निर्धारित किया जाता है। वितरण क्षेत्र का निष्पादन; विभिन्न घटकों जैसे वितरण नेटवर्क की पर्याप्तता; मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत की व्यवस्था; वितरण कंपनियों की दक्षताओं; एटीएंडसी हानियों में कमी करना आदि पर निर्भर करता है।

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्नआउंड के लिए भारत सरकार ने 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरूआत की है। उदय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप और उदय पोर्टल पर राज्यों द्वारा डाले गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने अनेक पैरामीटरों में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार की सूचना दी है, जैसा कि (i) समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्तीय वर्ष 2015-16 में 20.80% से घटकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 18.76% तक हो गई हैं और (ii) आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) - वसूल किया गया औसत राजस्व (एआरआर) अंतर वर्ष 2015-16 में 60 पैसे प्रति यूनिट से घटकर वर्ष 2017-18 में 17 पैसे प्रति यूनिट रह गया है, इस प्रकार विद्युत वितरण क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

****